भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1849

दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

1849. **डॉ. आनन्द कुमार गौंड:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के चयन के लिए किन-किन मानदण्डों और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का उपयोग किया जाता है;

(ख) आकांक्षी जिलों में विकास की प्रगति का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, अवसंरचना और वित्तीय समावेशन जैसे मानदण्डों और प्रमुख संकेतकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति की निगरानी और माप करने के लिए नियमित अध्ययन/मूल्यांकन किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इन निष्कर्षों के आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) आकांक्षी जिलों का चयन प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। इसमें एक समग्र सूचकांक तैयार किया गया जिसमें नागरिकों की गरीबी, अपेक्षाकृत खराब स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा की स्थिति और अपर्याप्त अवसंरचना की दृष्टि से जिलों के सामने

आने वाली चुनौतियों को शामिल किया गया था। इन पारदर्शी मानदंडों के आधार पर 112 जिलों की पहचान की गई है। इन जिलों में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 35 जिले शामिल हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा चुना गया था। डेटासेट की सूची और इन जिलों के चयन के लिए उन्हें दिया गया भारांक **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ख) स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी अवसंरचना एवं कौशल विकास/वित्तीय समावेशन क्षेत्रों में 49 प्रमुख संकेतकों/मापदंडों का विवरण, जिनका उपयोग आकांक्षी जिलों के अंतर्गत विकास की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है **अनुलग्नक – II** में संलग्न है।

(ग) एवं (घ) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के कामकाज और प्रभाव का दो स्वतंत्र आकलन किया गया है।

(i) यूएनडीपी ने इस कार्यक्रम का समग्र मूल्यांकन किया है।

(ii) प्रतिस्पर्धात्मकता आकलन संस्थान (हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रो. माइकल पोर्टर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम) ने कार्यक्रम का विस्तृत मूल्यांकन किया।

दिसंबर 2020 में प्रस्तुत यूएनडीपी की रिपोर्ट "आकांक्षी जिला कार्यक्रम: एक आकलन" ने पुष्टि की कि विभिन्न पहलुओं जैसे क्षेत्रवार विकास, अभिसरण के माध्यम से बेहतर शासन, और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से त्वरित विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यह प्रगति मजबूत नेतृत्व, तत्क्षण निगरानी, डेटा-संचालित निर्णय लेने, और क्षमता निर्माण जैसे कारकों से प्रेरित है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एडीपी के लगभग सभी जिलों ने बेसलाइन की तुलना में प्रमुख विकास मापदंडों पर सुधार दिखाया है। इस कार्यक्रम ने सर्वाधिक वंचित क्षेत्रों के लिए लाभों को लक्षित करके सामाजिक प्रभाव और न्याय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। डेल्टा रैंकिंग प्रणाली ने एक प्रतिस्पर्धी और गतिशील संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने पिछले तीन वर्षों में कई कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है।

इसके अतिरिक्त, आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने जिलों की निगरानी और 49 संकेतकों पर तत्क्षण आंकड़े दर्ज करने के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड विकसित किया है। सभी 112 जिलों की प्रगति की समय-समय पर निगरानी की जाती है और जिलों के प्रदर्शन के आंकड़े चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (*http://championsofchange.gov.in)* पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक – I

'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 11.02.2026 को डॉ. आनन्द कुमार गौंड द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1849 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

डेटाबेस	**क्षेत्र**	**भारांक**
शारीरिक श्रम पर निर्भर भूमिहीन परिवार *(सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना-वंचन 7)*	वंचन (25%)	25 %
प्रसव-पूर्व देखभाल [राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएचएफएस)-4]	स्वास्थ्य और पोषण (30%)	7.5 %
संस्थागत प्रसव (एनएचएफएस-4)		7.5 %
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अवरुद्ध विकास (एनएचएफएस-4)		7.5 %
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यक्ष्मा रोग (एनएचएफएस-4)		7.5 %
प्रारंभिक स्कूल छोड़ने की दर *[एकीकृत ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) 2015-16]*	शिक्षा (15%)	7.5 %
प्रतिकूल विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात *(यू-डीआईएसई 2015-16)*		7.5 %
बिजलीरहित परिवार *(विद्युत मंत्रालय)*	इन्फ्रा (30%)	7.5 %
व्यक्तिगत शौचालय रहित परिवार *(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)*		7.5 %
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अछूते गांव *(ग्रामीण विकास मंत्रालय)*		7.5 %
जल सुविधा रहित ग्रामीण परिवार *(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)*		7.5 %
कुल		**100%**

डेटा सेट के स्रोतों का ब्यौरा निम्नवार है:

1. http://rchiips.org/NFHS/districtfactsheet_NFHS-4.shtml (एनएफएसचएस 4 डेटाशीट)
2. http://secc.gov.in/categorywiseDeprivationReport?reportType=SC%20Category# (एसईसीसी 2011- वंचन डेटाशीट)
3. http://udise.in/drc2015-16.htm (यू-डीआईएसई 2015-16 डेटाशीट)
4. http://saubhagya.gov.in/ (सौभाग्य वैबसाइट)
5. http://pmgsy.nic.in/ (पीएमजीएसवाई वेबसाइट)

अनुलग्नक-।।

'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 11.02.2026 को डॉ. आनन्द कुमार गौंड द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1849 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

49 मुख्य निष्पादन संकेतकों की सूची

क्र.सं.	मुख्य निष्पादन संकेतक
1.1	कुल एएनसी पंजीकरण में से चार या इससे अधिक प्रसव-पूर्व देखभाल (एएनसी) जांच की सुविधा लेने वाली गर्भवती स्त्रियों का प्रतिशत
1.2	कुल एएनसी पंजीकरण में से प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकृत एएनसी का प्रतिशत
1.3	अनुमानित गर्भधारणों में से एएनसी के लिए पंजीकृत गर्भवती स्त्रियों का प्रतिशत
2	आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक आहार लेने वाली गर्भवती स्त्रियों का प्रतिशत
3.1	गंभीर रक्ताल्पता से जूझ रही गर्भवती स्त्रियों में से गंभीर रक्ताल्पता से उपचारित गर्भवती स्त्रियों का प्रतिशत
3.2	कुल एएनसी पंजीकरण में से संबंधित एएनसी के लिए 4 या इससे अधिक बार हीमोग्लोबिन की जांच कराने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
4.1	जन्म के समय लिंग अनुपात
4.2	कुल अनुमानित प्रसवों में से सांस्थानिक प्रसवों का प्रतिशत
5	घर में हुए कुल प्रसवों में से एसबीए (कुशल दाई) की मौजूदगी में घर में हुए प्रसवों का प्रतिशत
6.1	जन्म के घंटे भर के भीतर स्तनपान करने वाले नवजातों का प्रतिशत
6.2	जन्म के समय 2500 ग्राम वज़न वाले जीवित नवजातों का प्रतिशत
6.3	जन्म के समय वज़न लिए गए जीवित बच्चों का समानुपात
7	5 वर्ष से कम उम्र के अल्पवज़नी बच्चों का प्रतिशत
8.1	5 वर्ष से कम उम्र के अवरुद्ध विकास वाले बच्चों का प्रतिशत

8.2	ओआरएस से उपचारित अतिसार पीड़ित बच्चों का प्रतिशत
8.3	जस्ते से उपचारित अतिसार पीड़ित बच्चों का प्रतिशत
8.4	पिछले 2 सप्ताह में एआरआई पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का प्रतिशत
9.1	अत्यधिक कुपोषण का प्रतिशत (एसएएम)
9.2	मध्यम कुपोषण का प्रतिशत (एमएएम)
10.1	पर्याप्त आहार पा रहे स्तनपान करने वाले बच्चे (6-23 माह)
10.2	पर्याप्त आहार ले रहे स्तनपान न करने वाले बच्चे (6-23 माह)
11	पूर्ण टीकाकरण (बीसीजी+डीपीटी3+ओपीवी3+खसरा1) करा चुके बच्चों (9-11 माह) का प्रतिशत
12.1	अनुमानित मामलों में से तपेदिक (टीबी) की अधिसूचना दर (सरकारी और निजी संस्थान)
12.2	अधिसूचित टीबी रोगियों (सरकारी और निजी) में टीबी उपचार की सफलता दर
13.1	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना (एचडब्ल्यूसी)
13.2	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरुप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अनुपात
13.3	प्रकार्यात्मक एफआरयू (फर्स्ट रेफरल यूनिट्स) दर
13.4	आईपीएचएस मानकों की तुलना में ज़िला अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता
13.5	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण दिवसों का आयोजन
13.6	स्व-भवनयुक्त आंगनवाड़ियों का समानुपात
13.7	ऐसे फर्स्ट रेफरल यूनिट्स (एफआरयू) का प्रतिशत जिनमें प्रसूति-कक्ष और ऑब्सटेट्रिक्स ओटी एनक्यूएएस प्रमाणित (अर्थात् लक्ष्य दिशानिर्देशों को पूरा करने वाला) हों
14.1	अवस्थांतर दरः (क) प्राथमिक से द्वितीयक स्तर में
14.2	(ख) उच्च प्राथमिक से द्वितीयक स्तर
15	शौचालय की उपलब्धताः चालू बालिका शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत
16	शिक्षण परिणाम (सरकारी विद्यालयों में औसत) (क) कक्षा-3 में गणित में प्रदर्शन (ख) कक्षा-3 में भाषा में प्रदर्शन

	(ग) कक्षा-5 में गणित में प्रदर्शन (घ) कक्षा-5 में भाषा में प्रदर्शन (ङ) कक्षा-8 में गणित में प्रदर्शन (च) कक्षा-8 में भाषा में प्रदर्शन
17	महिला साक्षरता दर (15+ आयु समूह)
18	चालू पेयजल सुविधायुक्त विद्यालयों का प्रतिशत
19	माध्यमिक स्तर पर चालू बिजली सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत
20	आरटीई के विनिर्देशानुसार विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का पालन करने वाले प्रारम्भिक विद्यालयों का प्रतिशत
21	शिक्षा सत्र के प्रारम्भ के 1 माह के भीतर बच्चों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों का प्रतिशत
22	जल सकारात्मक निवेश और नियोजन
(क)	सूक्ष्म-सिंचाई के अंतर्गत निवल बुआई वाले क्षेत्र का प्रतिशत
(ख)	मनरेगा के अंतर्गत पुनरुज्जीवित जल निकायों की संख्या
23	फसल बीमा- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत निवल बुआई वाले क्षेत्र का प्रतिशत
24	महत्वपूर्ण आदान (इनपुट) उपयोग और आपूर्ति में वृद्धि
(क)	3(क) कृषि ऋण में प्रतिशत वृद्धि
(ख)	3(ख) प्रमाणित गुणवत्तापरक बीज वितरण
25	ज़िले में इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार से जुड़ी मंडियों की संख्या
26	क) मूल्य प्राप्ति में प्रतिशत परिवर्तन (गेहूं) ख) मूल्य प्राप्ति में प्रतिशत परिवर्तन (सामान्य धान, धान ग्रेड-ए)
27	ज़िले में कुल बुआई क्षेत्र की तुलना में उच्च मूल्य वाली फसलों की प्रतिशत हिस्सेदारी
28	2 मुख्य फसलों की कृषि उत्पादकता
29	टीकाकृत पशुओं का प्रतिशत

30	कृत्रिम गर्भाधान कवरेज
31	वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या
32	प्रति 1 लाख की आबादी पर कुल वितरित मुद्रा ऋण (रुपए में)
33	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): प्रति 1 लाख आबादी पर नामांकनों की संख्या
34	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) प्रति 1 लाख आबादी पर नामांकनों की संख्या
35	अटल पेंशन योजना (एपीवाई): प्रति 1 लाख आबादी पर लाभार्थियो की संख्या
36	कुल बैंकिंग खातों के प्रतिशत रुप में आधार के साथ जुड़े बैंक खातों का प्रतिशत
37	प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या
38	अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण स्कीमों के अंतर्गत प्रमाणित युवाओं की संख्या/ जिले में आयु समूह 15-29 के अंतर्गत युवाओं की संख्या
39	प्रमाणित नियोजित युवाओं की संख्या/अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
40	शिक्षुता पूरी कर रहे लोगों की संख्या/पोर्टल पर पंजीकृत प्रशिक्षुओं की कुल संख्या
41	पूर्व शिक्षण के अंतर्गत प्रमाणित लोगों/अनौपचारिक रुप से कुशल कार्यबल की संख्या
42	अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रमाणित प्रशिक्षित कमज़ोर/वंचित युवाओं की संख्या क) महिला- प्रमाणित प्रशिक्षित ख) एससी- प्रमाणित प्रशिक्षित ग) एसटी- प्रमाणित प्रशिक्षित घ) ओबीसी-प्रमाणित प्रशिक्षित ङ) अल्पसंख्यक- प्रमाणित प्रशिक्षित च) दिव्यांगजन- प्रमाणित प्रशिक्षित/कुल प्रमाणित प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
43	बिजली सुविधायुक्त परिवारों का प्रतिशत

44	इंटरनेट सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
45	(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत बारहमासी सड़कों वाली बस्तियो का प्रतिशत (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत ज़िले में कुल संस्वीकृत किलोमीटरों के प्रतिशत के रुप में पूरे किए गए बारहमासी सड़क कार्य के किलोमीटरों की संचयी संख्या
46	वैयक्तिक शौचालय युक्त परिवारों का प्रतिशत
47	पेयजल - ग्रामीण क्षेत्र में 40 एलपीसीडी पेयजल की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता वाली ग्रामीण बस्तियों का प्रतिशत
48	ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों की कवरेज/स्थापना
49	बेघरों या कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त एकल कमरे वाले या कच्ची दीवार और छत वाले 2 कमरों में रह रहे परिवारों के लिए निर्मित पक्के मकानों की संख्या

*****